| तारीख हुक्म | हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>जयसिंह पुत्र श्री किशनसिंह गाम लौटोती तहसील जैतारण जिला पाली 306302<br>बनाम<br>लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी जैतारण<br>प्रथम सूचना अपील संख्या :– 18/2022<br>जीसीएमएस नं. :– 2022/20<br>(अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005) | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 15/3/22 | –: निर्णय :–<br><br>1. पत्रावली आज पेश हुई । उभयपक्ष अनुपस्थित।<br><br>2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 13.10.2021 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी जैतारण से चाही गई थी। परन्तु रेस्पोडेंट के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर रेस्पोडेंट से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है।<br><br>3. लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, जैतारण ने जरिये पत्रांक/लोसूअ/राजस्व/2022/163 दिनांक25.02.2022 के इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना प्रश्नात्मक व विशिष्टियों का अंकन नहीं होने से सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(1) के तहत उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती है। इस बाबत उनके कार्यालय के जरिये पत्रांक/लोसूअ/राजस्व/2021/520 दिनांक 26.11.2021 के अपीलांट को अवगत करा दिया गया है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।<br><br>4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित सूचना/जवाब के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि वांछित सूचना अपीलार्थी को प्राप्त हो गई है। तथा वह रेस्पोडेंट के जवाब से संतुष्ट है।<br><br>5. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।<br><br>6. निर्णय आज दिनांक 15/3/22 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।<br><br>(नमित मेहता)<br>प्रथम अपीलीय अधिकारी<br>लोक सूचना एवं जिला कलक्टर पाली | |